राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प0 7(8) कार्मिक/क–2/08 जयपुर, दिनांक 30.11.2012

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12810/2009 जी. शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2010 की पालना में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट नवम्बर, 2012 पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में उपलब्ध 49 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त आयोग की अनुशंषा के आधार पर विशेष पिछड़ी 5 जातियों (I) बंजारा, बालदिया, लबाना (II) गाड़िया लोहार व गाडोलिया (III) गूजर, गुर्जर (IV) राईका, रेबारी (देबासी) एवं (V) गडरिया (गाडरी), गायरी को राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों मे सीधी भर्ती के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण Act of 2008 के अनुसार दिया जावे। राज्य सरकार का उक्त निर्णय, उच्च न्यायालय के दिनांक 22.12.2010 के निदेशानुसार, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 2 माह पश्चात् से प्रभावी होगा। उक्त 2 माह की अवधि में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2010 यथा संशोधित आदेश दिनांक 07.08.2012 के द्वारा **विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए प्रदत 1 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। इसी प्रकार इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.01.2011 के द्वारा भर्ती के लिए विज्ञापित पदो के 4 प्रतिशत अतिरिक्त पद विशेष पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित रखे जा कर सुरक्षित रखे जाने संबंधी व्यवस्था भी इस आदेश के** प्रभावी होने तक प्रभावी रहेगी।

यह आदेश मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 241/2012 दिनांक 28.11.2012 के अनुक्रम में जारी किये जाते है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
(सुदर्शन सेठी) 30.11.2012
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।

64/2012

6. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 241/2012 दिनांक 28.11.2012 के क्रम में।

s/d
(दिनेश यादव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इसे आज ही राजस्थान राजपत्र के विशेषांक (Extra Ordinary) में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

s/d
शासन उप सचिव

64/2012